बिहार सरकार (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–1 / छात्रावास(संधा.)–31–01 / 2010– 20

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार, भा0 प्र0 से0
निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी
खगड़िया / भागलपुर।

पटना, दिनांक 07.06.17

विषयः वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्र / छात्राओं के लिये संचालित स्थायी कार्यरत छात्रावासों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतन मद में अनुसूचित जाति के छात्रावासों के लिए खगड़िया जिला के लिए ₹11,14,470 / –एवं भागलपुर जिला के लिए ₹58,979 / – अर्थात कुल ₹11,73,449 / –(ग्यारह लाख तिहत्तर चार सौ उन्नचास रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्राओं के लिए संचालित स्थायी कार्यरत छात्रावासों में सृजित स्थायी पदों के संधारणार्थ वेतन, भत्ते एवं अन्य मदों में अनुसूचित जाति के छात्रावासों के लिए ₹6,08,63,110 / – एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों के लिए ₹61,26,120 / – अर्थात कुल ₹6,69,89,230 / –(छः करोड़ उनसठ लाख नवासी हजार दो सौ तीस रूपये) मात्र का पूरे वर्ष के लिए विभागीय पत्रांक–07 दिनांक–19.05.17 द्वारा आवंटित की गयी है। इसी क्रम में जिला कल्याण पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक– 501 दिनांक–20.05.17 एवं जिला कल्याण पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक– 966 / क0 दिनांक–16.05.17 द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग के आलोक में अनुसूचित जाति के छात्रावासों के लिए खगड़िया जिला के लिए ₹11,14,470 / – एवं भागलपुर जिला के लिए ₹58,979 / – अर्थात कुल ₹11,73,449 / –(ग्यारह लाख तिहत्तर चार सौ उन्नचास रूपये) मात्र निम्न प्रकार से अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है:–

कार्यालय का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	कुल अतिरिक्त आबंटित राशि
जिला क0 कार्या0, खगड़िया	₹466000 / –	₹632400 / –	₹12950 / –	₹2400 / –	₹720 / –	₹1114470 /
जिला क0 कार्या0, भागलपुर	₹29490 / –	₹29489 / –	0	0	0	₹58979 /
	कुल योग					₹1173449 / –

(ग्यारह लाख तिहत्तर चार सौ उन्नचास रूपये)

2– कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में आय–व्यय मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0002–छात्रावासों का संधारण,–विषय शीर्ष–0002.01.01–वेतन, 0002.01.03–जीवन यापन भत्ता, 0002.01.04–मकान किराया भत्ता, 0002.01.06–चिकित्सा भत्ता, 0002.01.07–अन्य भत्ता मांग सं0–44– विपत्र कोड संख्या–44–2225012770002 के अन्तर्गत निकलनीय है ।

3– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गयी राशि की व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे तथा उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

4– वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17–4–98 के आलोक में यह आवंटनादेश निर्गत किया जा रहा है। अतः वित्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अन्य पत्र / परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

5– इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार पटना को दी जा रही है ।

6– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

(वीरेन्द्र कुमार)
निदेशक।

ज्ञापांक – 1/छात्रावास(संधा.)–31–01/2010– 20 पटना, दिनांक– 07.06.17

प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) जिला कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित उप विकास आयुक्त/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/अवर सचिव, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी बजट शाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/ प्रशाखा–3 डी0 एवं सांख्यिकी कोषांग, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक। 7/6/17

ज्ञापांक –1/छात्रावास(संधा.)–31–01/2010– 20 पटना, दिनांक– 07.06.17

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 प्रबंधक अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

निदेशक। 7/6/17